कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0)

::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :::

क्रमांकः 30/ एक—11—1/2013 बालोद, दिनांक 13/06/2024

पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश कमांक 28/एक—11—1/2013 बालोद दिनांक 15/06/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूं। यह आदेश दिनांक 13/06/2024 से प्रभावशील होगा।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र		प्रकरणों का प्रकार
1	2	3		4
1	प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बालोद	1	सभी सत्र प्रकरण {विशेष अधिनियमों के तहत —लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत— पेश प्रकरणों को छोड़कर} ।
			2	सभी आपराधिक अपीलें (जिसमें धारा 138 लिखित परकाम्य अधिनियम से संबंधित समस्त अपीलें सम्मिलित है)।
			3	आपराधिक प्रकरणों के अंतरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4	विविध आपराधिक कार्यवाहियॉ।
			5	जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं0प्र0सं0 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, बाल न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत् बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर)
			6	अनुसूचित जाति एवं जन—जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत् प्रस्तुत् होने वाले प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत् प्रस्तुत् होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण (उक्त अधि. की धारा—14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन के अध्यधीन)
			7	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत् प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।

			8	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 9742/3446/ 21ब/2015 दिनांक 09.10.2015 के अनुसार जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			9	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 10059/2991/ 21ब/छ.ग./2018 दिनांक 09.10.2018 के अनुसार दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			10	औषधि और प्रसाधान सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मिलावटी दवाओं/नकली दवाओं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत् प्रस्तुत अन्य प्रकरणों का निराकरण।
			11	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1956 उपं छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगर पंचायत अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
			12	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अधीन जिले में कार्यरत न्याय निर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई।
			13	आर्बिट्रेशन से संबंधित सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाही के प्रकरण।
			14	केन्द्रीय अधिनियमों एवं राज्य के अधिनियमों के अन्तर्गत् प्रस्तुत् होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल अधिकारता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किए जाने योग्य हो और जिनके संबंध मे इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किए जायेंगें।
			15	मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत संबंधित थाना से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होने वाले अन्वेषण अधिकरी के सूचना के अन्तर्गत मोटरयान दावा दुर्घटना के समस्त प्रकरण।
			16	जिले के सभी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 01 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 के निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।
			17	व्यवहार प्रक्रिया संहिता 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र।

2	प्रथम जिला न्यायाधीश बालोद एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालोद/ विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, तथा पी.सी. एक्ट।	सत्र खण्ड बालोद सिविल जिला बालोद के तहसील बालोद, डौंडी, डौडीलोहारा, गुरूर एवं गुण्डरदेही क्षेत्र से उत्पन्न	1	सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण।
			2	विद्युत अधिनियम 2003 की धरा 153 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			3	सत्र खंड बालोद से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसं संबंधित विविध व अनुषांगित कार्यवाहयों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	सभी आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहारवाद, अपीलीय एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामले।
			7	रिक्त द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन की कार्यवाहियां सम्पदित करना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किया गये प्रकरण का एवं आदेशों का पालन करना।
			8	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम 1961 के क्रं. 370 की धरा 13(5) एवं 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			9	व्यवहार जिला बालोद में मोटर दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत होने वाले समस्त दावा प्रकरण (थाना से प्राप्त होने वाले सूचना के प्रकरणों को छोड़कर)
			10	सम्पूर्ण जिले के सभी प्रकार के व्यवहार प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/– रूपये से अधिक हो।

3	द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा धिकरण, बालोद।	सत्र खण्ड बालोद सिविल जिला बालोद		रिक्त न्यायालय
4	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट **(For exclusive hearing of cases uner POCSO Act)**	सत्र खण्ड बालोद के लैंगिक अपराधों (बलात्संग) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत् उद्भूत समस्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु	1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध व अनुषंगिक कार्यवाहियॉ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। इसके अलावा धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई अपील का निराकरण।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
			3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि. 1984 एवं लैंगिक अपराधों (बलात्संग एवं लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन का निराकरण
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	तहसील बालोद एवं गुरूर	1	तहसील बालोद, गुरूर के समस्त व्यवहार प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	राजस्व तहसील बालोद, गुरूर, क्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वालें समस्त प्रकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण

			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	राजस्व तहसील बालोद, गुरूर के क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	लघुवाद प्रकरणों का निराकण करना।
			9	बालोद, गुंडरदेही, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा में स्थापित, लेकिन वहां पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं 2 के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन की कार्यवाहियां सम्पादित करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण।
			10	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बालोद के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदन का निराकरण करना।
			11	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			12	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्यों का निर्वहन।
6	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद**			रिक्त न्यायालय
7	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद**		1	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।

8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद			रिक्त न्यायालय
9	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बालोद			रिक्त न्यायालय
10	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	तहसील गुण्डरदेही	1	तहसील गुण्डरदेही के क्षेत्र के रूपये 1/– से 10,00,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादो का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	राजस्व तहसील गुण्डरदेही क्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वालें समस्त प्रकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	राजस्व तहसील गुण्डरदेही क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			9	लघुवाद प्रकरणों का निराकण करना।
			10	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्यों का निर्वहन।

11	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा**	तहसील डौंडी लोहारा,		रिक्त न्यायालय
12	**प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा**	तहसील डौंडी लोहारा,	1	तहसील डौण्डीलोहारा के समस्त व्यवहार प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक एवं तहसील डौण्डी के क्षेत्र के रूपये 5,00,000/– से 10,00,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादो का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	तहसील डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी के क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	तहसील डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी के क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करना।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			9	लघुवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।

13	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्ली राजहरा**	तहसील डौंडी	1	राजस्व तहसील डौंडी क्षेत्र के रूपये 1/– से 5,00,000/– रूपये तक मुल्यांकन व्यवहार वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण ।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	लघुवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।

सही/-

(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ0ग0)

टीप :–

1 ऐसे समस्त प्रकरण जो इस कार्य वितरण आदेश में दर्शित नहीं है वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2 व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड बालोद में कार्यरत न्यायाधीश/ न्यायिक अधिकारियों के अवकाश/ प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में छ0ग0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (3) एवं (4) के तहत पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति अथवा अवकाश में प्रस्थान करने पर न्यायालय के आवश्यक व्यवहार प्रकरणों का कार्य संपादित किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त किये जाते है एवं निम्नांकित वरियता कम में पीठासीन अधिकारीगण कार्यों का संपादन करेंगें।

3 ग्रीष्मकालन एवं शीतकालीन अवकाश की अवधि में छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 21(4) के अंतर्गत् प्रस्तुत होने वाले आवश्यक व्यवहार मामलों के सुनवाई हेतु भी निम्न व्यवयस्था लागू होगी।

4 प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय रिक्त न्यायालय हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरण, अपर जिला न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरणों एवं रिमाण्ड प्रकरणों, समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों एवं विविध वाद आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगे

5 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा का न्यायालय रिक्त हो जाने पर उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरण, अपर जिला न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरणों एवं रिमाण्ड प्रकरणों, समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों एवं विविध वाद आगामी आदेश तक प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।

क्र.	न्यायालय का नाम	कालम नं. 2 में दर्शित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के अनुपस्थिति के दौरान कमशः कॉलम नं0 3, 4, 5 एवं 6 में दर्शित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश आवश्यक कार्य का सम्पादन किया जावेगा।			
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (For exclusive hearing of cases uner POCSO Act)	–	–
2	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (For exclusive hearing of cases uner POCSO Act)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद	–	–
3	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (For exclusive hearing of cases uner POCSO Act)	प्रथम जिला न्यायाधीश बालोद	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद	–	–

4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दल्लीराजहरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद
5	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, गुण्डदेही	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बालोद	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दल्लीराजहरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद
6	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद
7	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा	अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा

सही/-

(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक /एक–11–1/2013 बालोद, दिनांक /06/2024

1. प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद,
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो), बालोद,
3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद,
4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी/प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग शाखा, व्यवहार न्यायालय, गुण्डरदेही
5. प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी/प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग शाखा, व्यवहार न्यायालय, डौण्डीलोहारा
6. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी/प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग शाखा, व्यवहार न्यायालय, दल्लीराजहरा,
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बालोद,
8. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग शाखा, जिला न्यायालय, बालोद
9. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, बालोद,
10. अध्यक्ष/सचिव, तहसील अधिवक्ता संघ, गुण्डरदेही,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11. प्रस्तुतकार, न्यायालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र से माननीय महोदय को अवगत करावें।

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या.–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद (छ0ग0)